रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3504] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 29, 2019/कार्तिक 7, 1941
No. 3504] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 29, 2019/KARTIKA 7, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2019

का.आ. 3871(अ).—प्रारूप अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 3530 (अ) तारीख 3 नवम्बर, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, उक्त अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को 6 नवम्बर, 2017 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

जसरोटा वन्यजीव अभयारण्य जम्मू और कश्मीर राज्य में कठुआ जिला के उत्तरी भाग की ओर जम्मू शहर से लगभग 75 किलोमीटर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 10.04 वर्ग किलोमीटर में आच्छादित है। संरक्षित क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार, वन विभाग एस.आर.ओ. सं. 151 तारीख 19 मार्च, 1987 द्वारा अभयारण्य अधिसूचित किया गया था और उत्तर अक्षांश $32^{0}27'$ से $32^{0}31'$ और पूर्व देशांतर $75^{0}22'$ से $75^{0}26'$ के बीच है। अभयारण्य के पूर्व में उज्जह नदी और पश्चिम में लोडमोली वाली खड़ के बीच स्थित है। जसरोटा वन्यजीव अभयारण्य की उत्तरी सीमा में गुराह, सुरजा, माला, तलोती, तिब्बा, फुरलैन, मुन, गुरनाम वाला ग्राम है; जबकि उत्तरी भाग में जसरोटा, माला, शनि और खानपुर और कनल उजह ग्राम है। पश्चिमी भाग में लोडमोली खड़ स्थित है;

और, वनस्पति और प्राणीजात इस अभयारण्य के विपुल जैविक महत्व के द्योतक हैं । चैंपियन और सेट द्वारा पुनरीक्षित वर्गीकरण के अनुसार अभयारण्य की वनस्पति मुख्य समूह "उपोष्णीय उत्तरी मिश्रित शुष्क पतझड़ी वन" के अंतर्गत आते हैं । इस क्षेत्र में उपोष्णीय चौड़े पत्तेदार वृक्ष और झाड़ियों की पर्याप्त विविधता पाई जाती है । अभयारण्य का एक विशाल क्षेत्र झाड़ियों से और अपतीर्ण से वहां वहां आच्छादित है जहां जहां बांस के कुछ शुद्ध पैवंद स्थानों पर भी पाए जाते हैं । चौड़े पत्तेदार वनों में पर्णपाती प्रजातियां हैं;

और, यह क्षेत्र उप-उष्णकटिबंधीय जलवायु के क्षेत्र में विशिष्ट प्रकार के जीव जंतुओं और पक्षी जीव का समुदाय है। जसरोटा वन्यजीव अभयारण्य से महत्त्वपूर्ण वनस्पति जैसे खैर (*अकाकिया कैटेचु*), सिरिस (*अल्बिजिया लेबेबेक*), फलई (*अकाकिया मोडेस्टा*), ब्रेंकट ऑर भैंकर (*अधतोडा वासिका*), गार्ना (*कैरिसा ओपाका*), बेल (*एलेग मार्मेलोस*), बूटी (*असपारागस रेसमोसस*), कराल (*बौहिनिया परपरिया*), चारमॉर्ड (*एहेटेरिया लाविस*), बालुंगर (*बौहिनिया वाहली*), सेमल या सिम्बल (*बॉम्बेक्स सीबा*), कुरंगल या अमलताश (*कैसिया फिस्टुला*), लोहकी हेंडमा (*कैसिया तोरा*), टिलू या शीशम (*डालबर्गिया सिसो*), आंवला (*एम्बेलिका ऑफिसिनैलिस*), बोर (*फिकस बेंथालेंसिस*), गूलर या रूंबल (*फाइकस रेसमोसा*), रथिन (*फ्लुएगिया वाइरोसा*), पैन्जफुल्ली (*लैंटाना कैमारा*), कमेला (*मैलोटस फिलिपेंसिस*), आम (*मंगिफेरा इंडिका*), काम (*मित्राग्याना परविफोलिया*), करिपत्ता या ड्रेंकुल (*मर्रया कोइनिगी*), खजुर (*फोनिक्स डैक्टीलिफेरा*), रंडा (*कैटुनारेगाम स्पिनोसा*), जामुन (*सिज़ेगियम क्यूमिनी*), रीड (*टर्मिनलिया चेबुला*), अर्जुन (*टर्मिनलिया अर्जुना*), बेरा (*टर्मिनलिया बेलेरिका*), बेर (*ज़िज़िपस जुजुबा*), बेर (*ज़िज़िपस ओएनोप्लासिया*), दाई या ताई (*वुडफोरडिया फ्रुटिकोसा*), कंबल (*लन्नेया कोरोमनडेलिका*), सनन (*ओजेनिया ओडेनिनेसिस*), खजुर (*फोनिक्स डेक्टायलिफेटा*), रान्डा (*काटुनरेगुम स्पाइनोसा*), जामुन (*सायजीअम कुमीनी*), रीड (*टरमिनालिया चेबुला*), अर्जुन (*टेरमिनालिआ अर्जुन*), आदि है।चट्टानी क्षेत्रों पर यूफोरबिया रोइलियाना भी पाया जाता है। शिवालिक श्रेणी के बाहरी शुष्क पादगिरि पर चीड़ पाइन (*पायस रोक्सबर्गी*) पाई जाती है;

और, जसरोटा वन्यजीव अभयारण्य से महत्त्वपूर्ण जीवजंतु जैसे नीलगाय *(बोसेलाफुस टरांगोकमेलुस),* चित्तीदार हिरण (*एक्सिस एक्सिस*), मुंजक (*मुनटीक्स मुनतजक*), रेहसूस बंदर (*मोकाका मुलाटा),* सियार *(कैनिस औरेस),* खरगोश (लेपुस नीगरीकोल्लीस*)*, साही (हायस्क्सि इंडिका*)*, बनैला सूअर (*सस स्क्रोफ़ा*), नेवला (हेरपेस्टेस *इंडकुअरदीस)*, मोर (*पवो क्रिस्टेटस),* लाल जंगली मुर्गा (*गल्लुस गल्लुस),* बुश क्वाई *(परेडीकुलाटा असीअटीका),* हरा कबूतर (*तररोन फोइनीक्स कोपटेरा),* ब्लू रॉक कबूतर (*कोल्यमबा लीवीय)*, लाल कछुए कबूतर (*स्टेपटोपेलीअ टरांक्युइबरीका),* ब्लू जे *(कोराकीय सबेंघाल्लुस*), ब्लैक पार्टिड्र्स *(फरांकोलीनुस फरांकोलीनुस),* स्पोटेड उल्लू *(अट्टेना बरामा),* तोता *(पसीट्टाकोला कयबनोकेफला)*, होपे *(*उपुपेअ पोपस), बुलबुल *(फयकनोनोटुस जाति), परीअ काइट (मील्वअस मीगरांस),* कोयल *(इयडयनामयस्स कोलोपेकेय),* कठफोड़वा पीकोइदेस नमुस*)*, बब्लेरस *(टअरदोइदे स्कायदातुस),* आदि अभिलिखित किए गए हैं। जसरोटा वन्यजीव अभयारण्य से महत्त्वपूर्ण जलपक्षी जैसे माल्लारड (*अनास पलाटयंचोस*) पीन टेल (*अनास अक्यूटा)*, गढवाल (*अनास स्टेपेरा), सामान्य टील (अनास क्राका),* विजियन *(अनास पेनलोपे), सामान्य पोर्चार्ड (अनास फरिना)* आदि अभिलिखित किए गए हैं;

और, जसरोटा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की उपधारा (1) और धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू और कश्मीर

राज्य के कथुआ जिलें में जसरोटा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 60 मीटर से 2.022 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को जसरोटा वन्यजीव अभयारण्य (अधिसूचना में उपाबद्ध मानचित्र को दर्शाया गया), पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार जसरोटा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 60 मीटर से 2.022 किलोमीटर तक विस्तृत है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार जसरोटा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से उत्तर पूर्व में 437 मीटर से 1260 मीटर, उत्तर में 1106 मीटर से 2022 मीटर, दक्षिण में 207 मीटर से 686 मीटर, दक्षिण-पश्चिम में 122 मीटर से 597 मीटर, पश्चिम में 1302 मीटर से 1673 मीटर, उत्तर पश्चिम में 517 मीटर से 1436 मीटर, पूर्व में 65 मीटर से 194 मीटर, दक्षिणपूर्व में 60 मीटर से 981 मीटर में फैला हुआ है।

पारिस्थितिकी संवेदी जोन का कुल क्षेत्रफल 12.56 वर्ग किलोमीटर है जिसमें 5.5173 वर्ग किलोमीटर वन भूमि, 2.4321 वर्ग किलोमीटर निजी भूमि और 2.0246 वर्ग किलोमीटर राज्य भूमि शामिल है जिसमें दानोह, लाडोली, गुरहा सुरजा, धेवाल, चानपुरा और मोनी छह ग्राम सम्मिलित है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन 2.584 वर्ग किलोमीटर मोनी, जसरोटा, धालोटी, माला और धमयाल ग्रामों की निजी, राज्य और विविध भूमि भी शामिल है।

(2) जसरोटा वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध I** में दिया गया है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के जसरोटा वन्यजीव अभयारण्य का मानचित्र **उपाबंध-II क, उपाबंध-II ख,** और **उपाबंध-II ग** के रूप में उपाबद्ध है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और जसरोटा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध-III** की सारणी **क** और सारणी **ख** के रूप में उपाबद्ध है।

(5) प्रमुख बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-IV** के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.– (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी ।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज; और

(xi) लोक निर्माण विभाग ।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हें अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों की बहाली, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का निर्धारण किया जाएगा तथा सहायक मानचित्र भी दिया जाएगा। इस महायोजना में विद्यमान और प्रस्तावित भू- उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले मानचित्र भी दिए जाएंगे।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी 4 में यथासूचीबद्ध प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमे स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

(9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद प्रमोद के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय या राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग तथा पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, स्थानीय सुख-सुविधाएं तथा गृह वास; और

(v) बढ़ावा दिए गए और पैरा-4 में उल्लिखित क्रियाकलाप:

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा;

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव- विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत**.- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान करके उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा करके इस रीति से बनाए जाऐंगे कि उसमें इन क्षेत्रों या इनके आसपास के क्षेत्रों के लिए हानिकारक विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध किया गया हो।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा ।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी ।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिसोर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिसोर्ट की स्थापना अनुज्ञात होगी;

IndiaCode

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल, रिजार्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(4) **प्राकृतिक विरासत.–** पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति- क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.–** ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसरण में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों और उसके अधीन बनाए गए संशोधित नियमों को कार्यान्वित करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, इनमें जो भी अधिक कठोर हों, के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ई एस एम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रंबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन.-** जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343(अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन**.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट**.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय- समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय-यातायात**.- यानीय-यातायात का संचलन आवास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे तथा आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने तक, निगरीनी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार वाहनों की आवाजाही के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(15) **यानीय जनित प्रदूषण**.- यानीय जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण**.- पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(i) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

(ii) जिन ढ़लानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, और तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्र. सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	टिप्पणी (3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी। (ख) खनन प्रचालन, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालन होगा।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नई अथवा विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईंट भट्ठों की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
9.	होटलों और रिजॉर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या

क्र. सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	टिप्पणी (3)
		पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टो की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी: परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।
10.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	**(5)** संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी: परन्तु यह और कि गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ख) एक किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
11.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों तथा पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाने वाले अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योगों, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होगी।
12.	वायु और यानीय प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
13.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
14.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रह ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।

क्र. सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	टिप्पणी (3)
15.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा (भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
16.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी अवसंरचना।	यह व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण करना।	यह व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
18.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उडाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
19.	पहाड़ी ढालों और नदी के किनारों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
20.	रात्रि में सड़क यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा ।
21.	स्थानीय समुदायों द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
22.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) के अधीन अनुज्ञात होगा।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव का निस्सारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
24.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
25.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
27.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
28.	पॉलिथीन बैग का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।

IndiaCode

क्र. सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	टिप्पणी (3)
29.	होटलों और लॉजों के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। वन्यजीव के मुक्त संचलन को अनुज्ञात करने के लिए पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटलों या अन्य वाणिज्यिक स्थापन अपनी परिसंपत्तियों में कांटेदार से बाड़ नहीं लगाएंगे और कोई भी बाड़ एक मीटर से ऊंची नहीं होगी।कोई विद्यमान बाड़, जो इस उपदर्श का अनुपालन नहीं करती है, को आंचलिक महायोजना में वर्णित समय-सीमा के अनुसार उपांतरित किया जाएगा।
30.	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
31.	सामुदायिक प्रकृति रिजर्व।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
32.	कैम्पिंग और ट्रैकिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
	ग. संवर्धित क्रियाकलाप	
33.	वर्षा जल संचय।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	ग्रामीण कारिगरों सहित कुटीर उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	बागान लगाना और औषधीय पौधों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
41.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
42.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
43.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन अधिसूचना की मानीटरी के लिए मानीटरी समिति.- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

IndiaCode

क्र. सं.	मानीटरी समिति का संघटक	पद
(1)	(2)	(3)
(i)	जिला कलेक्टर या उपायुक्त कठुआ	अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	क्षेत्रीय वन्यजीव वार्डन, जम्मू क्षेत्र, जम्मू	अध्यक्ष;
(iii)	क्षेत्रीय अधिकारी जम्मू, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जम्मू और कश्मीर सरकार	अध्यक्ष;
(iv)	वन विभाग, पारिस्थितिकी और रिमोट सेंसिंग, जम्मू और कश्मीर सरकार के एक प्रतिनिधि	अध्यक्ष;
(v)	राज्य सरकार द्वारा नामित जैव विविधता का एक विशेषज्ञ	अध्यक्ष;
(vi)	राज्य के प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी में एक विशेषज्ञ	अध्यक्ष;
(vii)	राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि	सदस्य;
(viii)	प्रादेशिक प्रभागीय वन अधिकारी, वन प्रभाग कठुआ	सदस्य;
(ix)	आवास और शहरी नियोजन विभाग / ग्रामीण विकास विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य;
(x)	कृषि उत्पादन विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य;
(xi)	संबद्ध वन्यजीव वार्डन (आई/सी जसरोटा वन्यजीव अभयारण्य के)	सदस्य सचिव।

6. निर्देश-निबंधन.- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटरी करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद मानीटरी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी के स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकारियो को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम, की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले मे आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे।

IndiaCode

[फा.सं. 25/203/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

जम्मू और कश्मीर राज्य के जसरोटा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

क्र. सं.	अभयारण्य की सीमा के संबंध में दिशा	बिंदु का नाम	अभयारण्य सीमा से पारिस्थितिकी संवेदी जोन की दूरी (मीटर में)	भू-निर्देशांक	
				अक्षांश	देशांतर
1	उत्तर	ए 1	2022 (अधिकतम दूरी)	32°30'49.01"उ	75°24'15.03"पू
2		बी 1	1106 (न्यूनतम दूरी)	32°30'36.92"उ	75°24'31.67"**पू**
3		सी 1	1243	32°30'35.26"उ	75°24'45.17"**पू**
4	उत्तर-पूर्व	डी 1	1260 (अधिकतम दूरी)	32°30'12.07"उ	75°25'34.98"**पू**
5		ई1	437 (न्यूनतम दूरी)	32°29'27.49"उ	75°25'16.51"**पू**
6	पूर्व	एफ1	194 (अधिकतम दूरी)	32°28'41.33"**उ**	75°24'55.45"**पू**
7		जी1	65 (न्यूनतम दूरी)	32°28'1.99"**उ**	75°24'42.99"**पू**
8	दक्षिण पूर्व	एच1	60 (न्यूनतम दूरी)	32°27'50.42"**उ**	75°24'26.82"**पू**
9		आई 1	981 (अधिकतम दूरी)	32°27'23.00"**उ**	75°24'3.86"**पू**
10		जे 1	462	32°27'46.98"**उ**	75°23'56.09"**पू**
11	दक्षिण	के1	207(न्यूनतम दूरी)	32°28'35.07"**उ**	75°23'46.10"**पू**

12		एल ।	686 (अधिकतम दूरी)	32°28'24.70"**उ**	75°23'30.32"**पू**
13		एम 1	677	32°28'26.84"**उ**	75°22'54.23"**पू**
14	**दक्षिण पश्चिम**	एन 1	279	32°28'31.77"**उ**	75°22'33.77"**पू**
15		ओ 1	122 (न्यूनतम दूरी)	32°28'40.60"**उ**	75°22'17.87"**पू**
16		पी 1	303	32°28'56.56"**उ**	75°21'58.24"**पू**
17		क्यू 1	597 (अधिकतम दूरी)	32°29'7.04"**उ**	75°21'52.35"**पू**
18	**पश्चिम**	आर 1	1302 (न्यूनतम दूरी)	32°29'20.38"**उ**	75°21'38.43"**पू**
19		एस 1	1359	32°29'36.21"**उ**	75°21'43.11"**पू**
20		टी1	1640	32°29'53.06"**उ**	75°21'49.54"**पू**
21		यू1	1673 (अधिकतम दूरी)	32°30'8.07"**उ**	75°22'4.54"**पू**
22	**उत्तर पश्चिम**	वी1	1436 (अधिकतम दूरी)	32°30'38.52"**उ**	75°22'34.18"**पू**
23		डब्ल्यू 1	517 (न्यूनतम दूरी)	32°30'34.92"**उ**	75°23'22.18"**पू**
24		एक्स 1	802	32°30'49.01"**उ**	75°24'15.03"**पू**

IndiaCode

दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम क्षेत्रों में, पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा रेखा जसरोटा, धलोटी, माला और धमयाल ग्रामों के उत्तर से होते हुए जाती है।

पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी भाग में, पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा लाडोली वाली खड़ को पार करके देवल ग्राम के दक्षिण से होते हुए जाती है और पश्चिम में वन सीओ.7/जेएसआर, सीओ. 8/जेएसआर से होते हुए, उत्तर पश्चिम में कम्पार्टमेंट 81/जेएसआर, उत्तरी भाग में 82/जेएसआर और 83/जेएसआर में होते हुए जाती है जो कि कठुआ वन संभाग के जसरोटा श्रेणी के सुनानल वन, तारोटा पेरा वन, कोरी बागन वन और बरोट वनों का भाग है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन उत्तर में जागिर खड़ से आड़े तिरछे होते हुए जाती है, ओगरी खड़ से होते हुए उत्तर पूर्व दिशा में उजह नदी से मिलती है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा पश्चिम में चंदवन बेलैरी ग्राम की पूर्वी से होते हुए जाती है।

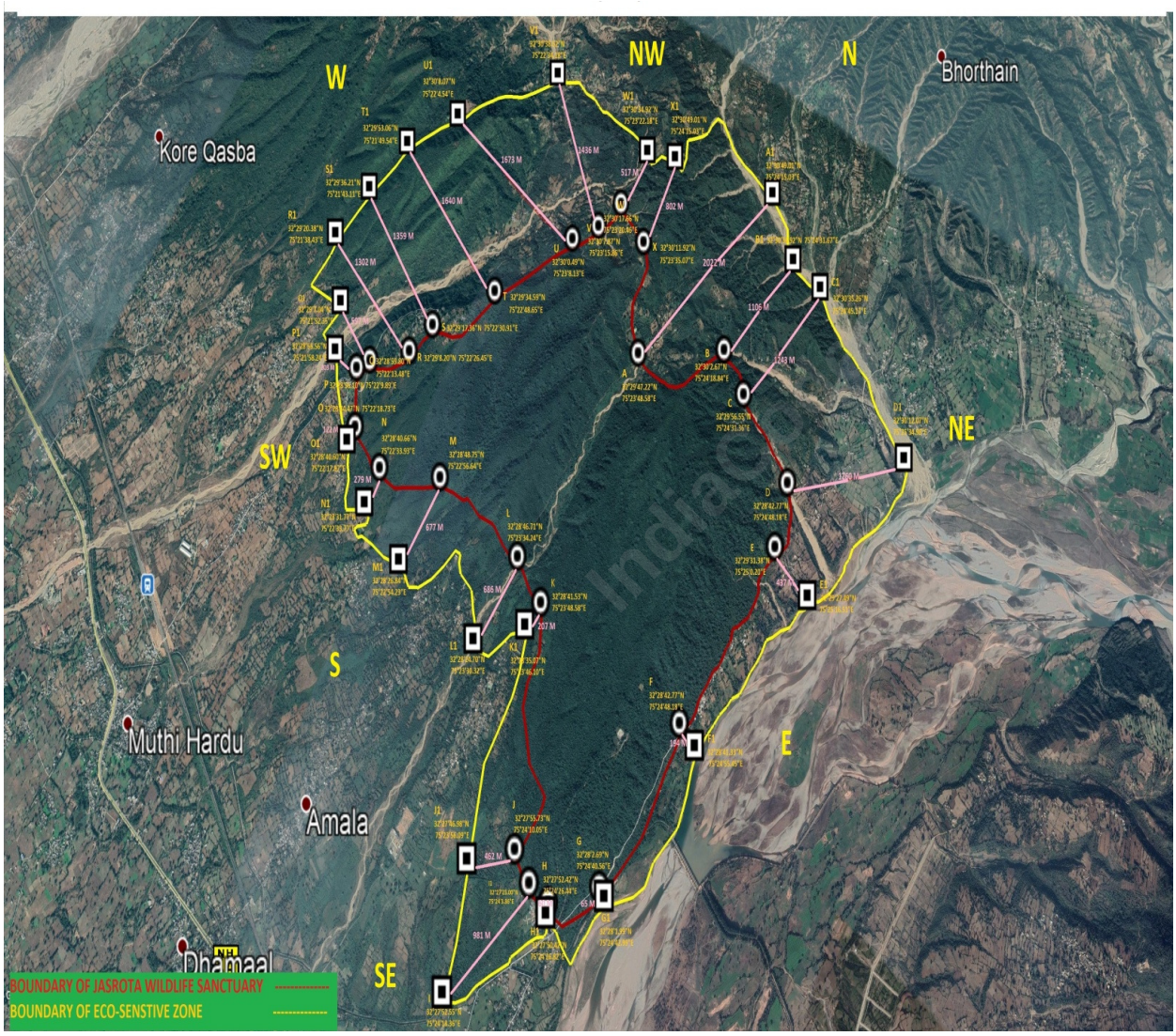
उत्तर और उत्तरपूर्व दिशाओं में, पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा मोनी ग्राम के उत्तरी और पूर्वी भाग के साथ जागिर खड़ से होते हुए जाती है।

पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी भाग में, पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा उजह नदी के साथ जाती है, उजह बैराज को पार करके, उजह कैनल के साथ मुड़कर और इसके बाद राजबाग जखोले सड़क को पार करती है, उत्तर में मंदिर से होते हुए जाती है और इसके बाद माला ग्राम के उत्तरी भाग को पार करती है।

माला ग्राम से, रेखा गुरा सुरजन खड़ को पार करके और धलोती ग्राम के उत्तर की ओर मुड़ती है।

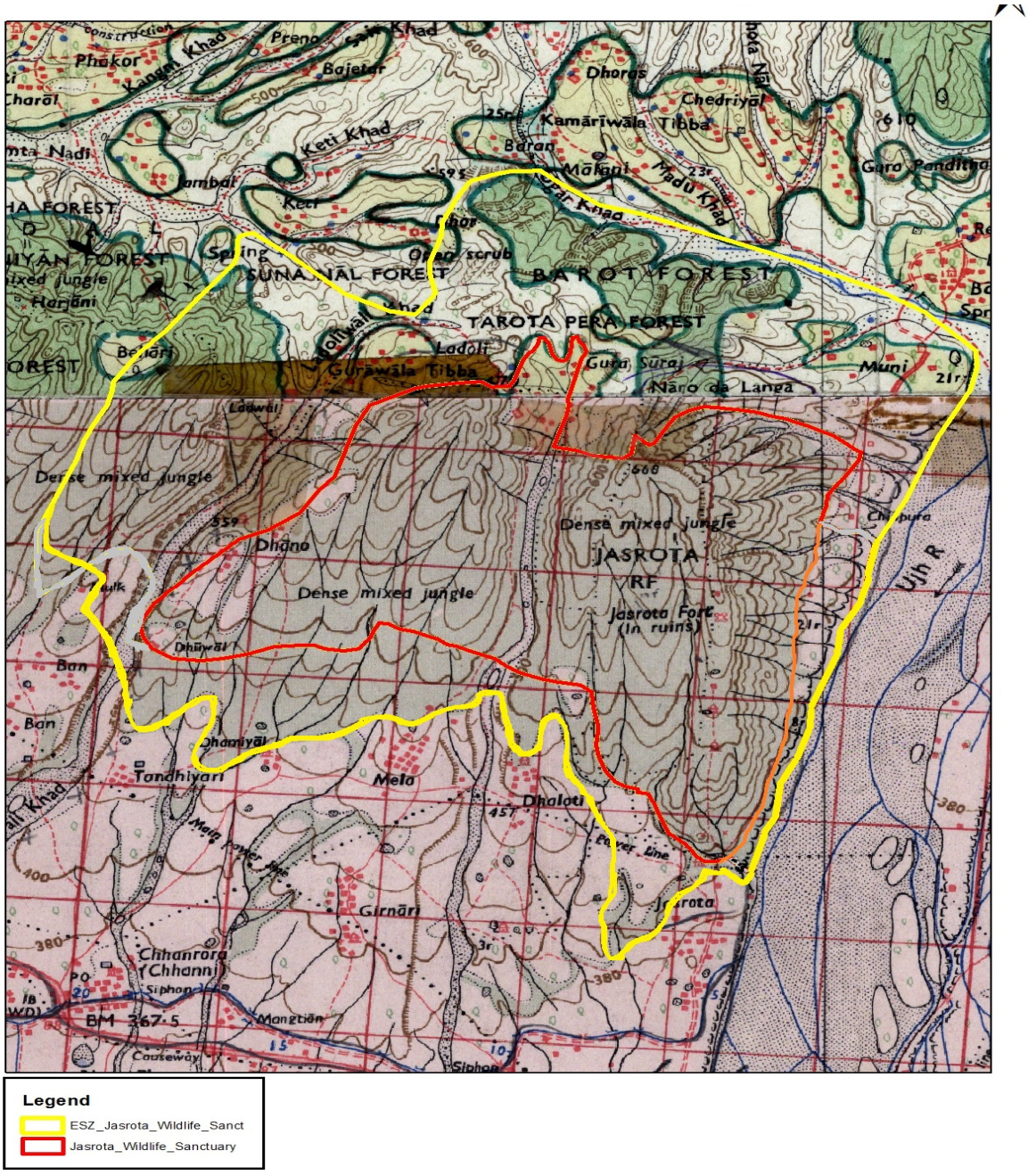
उपाबंध- IIक

जसरोटा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र



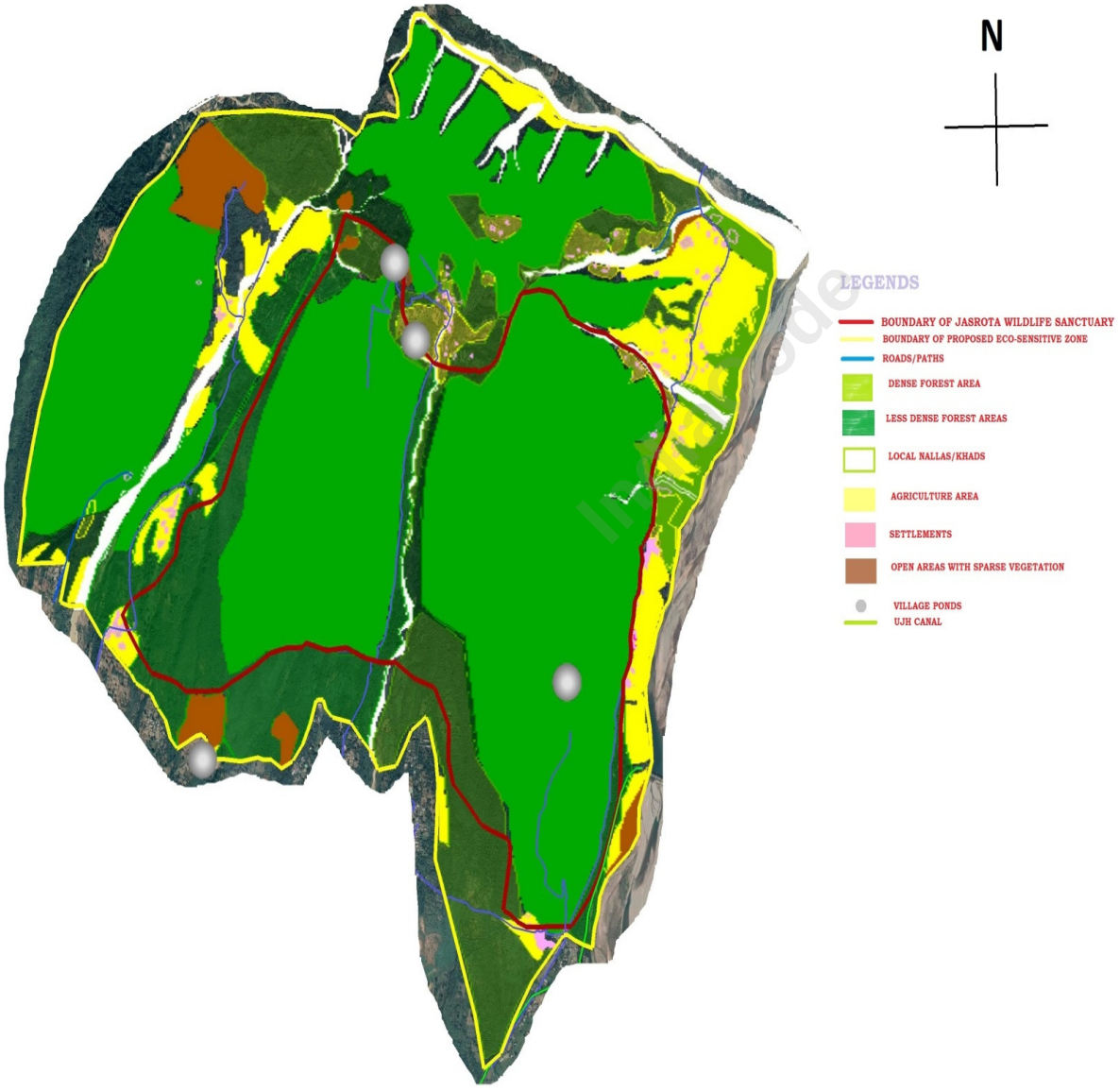
उपाबंध- ।।ख

मुख्य अवस्थों के अक्षांश और देशांतर के साथ भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) की टोपोशीट पर जसरोटा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी का मानचित्र



उपाबंध- IIग

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ जसरोटा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन को दर्शाने वाला भू-उपयोग मानचित्र



MAP SHOWING THE LAND USE PATTERN OF JASROTA WILDLIFE SANCTUARY AND ITS PROPOSED ECO-SENSITIUVE ZONE (ESZ)

उपाबंध-III

सारणी क : मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ जसरोटा वन्यजीव अभयारण्य के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	अभयारण्य की सीमा के संबंध में दिशा	बिंदु के नाम	भू-निर्देशांक	
			अक्षांश	देशांतर
1	उत्तर	ए	32°29'47.22"उ	75°23'48.58"पू
2		बी	32°30'2.67"उ	75°24'18.84"पू
3		सी	32°29'56.55"उ	75°24'31.36"पू
4	उत्तर-पूर्व	डी	32°28'42.77"उ	75°24'48.18"पू
5		ई	32°29'31.38"उ	75°25'0.20"पू
6	पूर्व	एफ	32°28'42.77"उ	75°24'48.18"पू
7		जी	32°28'2.69"उ	75°24'40.56"पू
8	दक्षिण-पूर्व	एच	32°27'52.42"उ	75°24'26.44"पू
9		आई	32°27'52.55"उ	75°24'18.36"पू
10		जे	32°27'55.73"उ	75°24'10.05"पू
11	दक्षिण	के	32°28'41.53"उ	75°23'48.58"पू
12		एल	32°28'46.71"उ	75°23'34.24"पू
13		एम	32°28'48.75"उ	75°22'56.64"पू
14	दक्षिण-पश्चिम	एन	32°28'40.66"उ	75°22'33.93"पू
15		ओ	32°28'44.47"उ	75°22'18.73"पू
16		पी	32°28'56.10"उ	75°22'9.89"पू
17		क्यू	32°28'59.80"उ	75°22'13.48"पू
18	पश्चिम	आर	32°29'8.20"उ	75°22'26.45"पू
19		एस	32°29'17.36"उ	75°22'30.91"पू
20		टी	32°29'34.59"उ	75°22'48.65"पू
21		यू	32°30'0.49"उ	75°23'8.13"पू
22	उत्तर-पश्चिम	वी	32°30'7.87"उ	75°23'15.86"पू
23		डब्लयू	32°30'17.66"उ	75°23'20.46"पू
24		एक्स	32°30'11.92"उ	75°23'35.07"पू

IndiaCode

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रमुख अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	अभयारण्य की सीमा के संबंध में दिशा	बिंदु के नाम	भू-निर्देशांक	
			अक्षांश	देशांतर
1	उत्तर	ए 1	32°30'49.01"उ	75°24'15.03"पू
2		बी 1	32°30'36.92"उ	75°24'31.67"पू
3		सी 1	32°30'35.26"उ	75°24'45.17"पू
4	उत्तर-पूर्व	डी 1	32°30'12.07"उ	75°25'34.98"पू
5		ई1	32°29'27.49"उ	75°25'16.51"पू
6	पूर्व	एफ1	32°28'41.33"उ	75°24'55.45"पू
7		जी1	32°28'1.99"उ	75°24'42.99"पू
8	दक्षिण-पूर्व	एच1	32°27'50.42"उ	75°24'26.82"पू
9		आई 1	32°27'23.00"उ	75°24'3.86"पू
10		जे 1	32°27'46.98"उ	75°23'56.09"पू
11	दक्षिण	के1	32°28'35.07"उ	75°23'46.10"पू
12		एल ।	32°28'24.70"उ	75°23'30.32"पू
13		एम 1	32°28'26.84"उ	75°22'54.23"पू
14	दक्षिण-पश्चिम	एन 1	32°28'31.77"उ	75°22'33.77"पू
15		ओ 1	32°28'40.60"उ	75°22'17.87"पू
16		पी 1	32°28'56.56"उ	75°21'58.24"पू
17		क्यू 1	32°29'7.04"उ	75°21'52.35"पू
18	पश्चिम	आर 1	32°29'20.38"उ	75°21'38.43"पू
19		एस 1	32°29'36.21"उ	75°21'43.11"पू
20		टी1	32°29'53.06"उ	75°21'49.54"पू
21		यू1	32°30'8.07"उ	75°22'4.54"पू
22	उत्तर-पश्चिम	वी1	32°30'38.52"उ	75°22'34.18"पू
23		डब्लयू 1	32°30'34.92"उ	75°23'22.18"पू
24		एक्स 1	32°30'49.01"उ	75°24'15.03"पू

India Code

उपाबंध-IV

भू-निर्देशांकों के साथ जसरोटा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम के नाम	अक्षांश	देशांतर
1	दनोह्	32° 29.377' उ	75° 22.511' पू
2	लदोली	32° 29.896' उ	75° 22.767' पू
3	गुरह्रा सुरजा	32° 29.809' उ	75° 23.813' पू
4	मोनी	32° 30.196' उ	75° 25.364' पू
5	चानपुरा	32°28'41.59" उ	75°24'50.72" पू
6	धेवल	32°28'53.52" उ	75°22'6.90" पू

IndiaCode

उपाबंध-V

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र.-

1. बैठकों की संख्या और तारीख।
2. बैठकों का कार्यवृत : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें)।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार)। विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2019

S.O. 3871(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 3530(E), dated the 3rd November, 2017, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 6th November, 2017;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, Jasrota Wildlife Sanctuary is located about 75 kilometres from Jammu City towards the northern side of Kathua district in the State of Jammu and Kashmir covering an area of 10.04 square kilometres. The protected area was notified as Sanctuary by the Jammu and Kashmir Government, Forest Department *vide* S.R.O. No. 151 dated, the19th March, 1987 and falls between 32° 27' to 32° 31' North latitude and 75° 22' to 75° 26' East longitude. The Sanctuary is located between river Ujh in the east and Lodmoli wali Khad in the west. The northern boundaries of the Jasrota Wildlife Sanctuary has the villages Gurah Surja, Mala, Taloti, Tibba, Furlain, Mun, Gurnam Wala; while the southern part has the villages Jasrota, Mala, Shani and Khanpur and canal Ujh. In the western side ruins of Lodmoli khad is located;

AND WHEREAS, the flora and fauna represent rich biological significance of Jasrota Wildlife Sanctuary. The vegetation of the Sanctuary comes under the major group "Sub-tropical Northern Mixed Dry Deciduous Forests". A wide variety of sub-tropical broad leaved tree and shrubs are found in the area. Large area of the Sanctuary is covered with shrubs and weeds where as some pure patches of bamboo are also found at places. The broad-leaved forest consists of deciduous species;

AND WHEREAS, the area hosts a wide variety of fauna and avifauna typical to the area of sub-tropical climate. Important floras reported from the Jasrota Wildlife Sanctuary are khair (*Acacia catechu),* siris (*Albizia lebbeck),* phalai (*Acacia modesta),* brankut or bhainkar (*Adhatoda vasica),* garna (*Carissa opaca),* bel (*Aegle marmelos),* booti (*Asparagus racemosus),* karal (*Bauhinia purpurea),* charmord (*Ehretia laevis),* balungar (*Bauhinia vahlii),* semal or simbal (*Bombax ceiba),* kurangal or amaltash (*Cassia fistula),* lohki hendma *Cassia tora),* tillu or shishum (*Dalbergia sissoo*), amla (*Emblica officinalis*), bor (*Ficus benghalensis*), gular or rumbal (*Ficus racemosa*), rathain (*Flueggea virosa*), paanjphooli (*Lantana camara*), kamela (*Mallotus philippensis),* aam (*Mangifera indica),* kaam (*Mitragyna parvifolia),* karipatta or drankul (*Murraya koenigii),* khajur (*Phoenix dactylifera),* randa (*Catunaregum spinosa),* jamun (*Syzygium cumini),* reed (*Terminalia chebula),* arjun (*Terminalia arjuna),* bera (*Terminalia belerica),* ber (*Ziziphus jujuba),* ber (*Ziziphus oenoplia),* dai or tai (*Woodfordia fruticosa),* kambal (*Lannea coromandelica),* sanan (*Oujenia oojeninensis),* khajur (*Phoenix dactylifera),* randa (*Catunaregum spinosa),* jamun (*Syzygium cumini),* reed (*Terminalia chebula),* arjun (*Terminalia arjuna),* etc. *Euphorbia royleana* is also found on rocky areas. Chir pine *(Pius roxburghii)* forest in found on outer dry foothills of Shiwalik Range;

AND WHEREAS, important fauna or avifauna reported from the Jasrota Wildlife Sanctaury are nilgai *(Boselaphus tragocamelus),* spotted deer *(Axis axis),* barking deer *(Muntiacus muntejak),* rhesus monkey *(Macacamulatta),* jackal *(Canis aureus),* hare *(Lepus nigricollis),* porcupine *(Hystrix Indica),* wild boar *(Sus scrofa),* mongoose *(Herpestes edxardis),* pea fowl *(Pavo cristatus),* red Jungle fowl *(Gallus gallus),* bush quail *(Prediculata asiatica),* green pigeon *(Treron phoenix coptera),* blue rock pigeon *(Columba livia),* red turtle dove *(Streptopelia tranquebarica),* blue Jay *(Coracias benghalinus),* black partirdes *(Francolinus francolinus),* spotted owlet *(Athene brama),* parakeets (*Psittacula cyanocephala),* hoope *(Upupae pops),* bulbul *(Pycnonotus species),* pariah *kite (Milvus migranis),* koel *(Eudynamus scolopacea),* wood pecker (*Picoidesnamus),* bablers *(Turdoides caudatus) etc.* Important water fowls reported from the Jasrota Wildlife Sanctuary are mallard *(Anas Platyrhnchos),* pin tail *(Anas acuta),* gadwal *(Anas Stepera),* common teal *(Anas crecca),* wigeon *(Anas Penelope),* and common pochard *(Aythya ferina),* etc;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Jasrota Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity

point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 60 metres to 2.022 kilometres around the boundary of Jasrota Wildlife Sanctuary, in Kathua district in the State of Jammu and Kashmir as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. –** (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 60 metres to 2.022 kilometres around the boundary of Jasrota Wildlife Sanctuary. The extents of the Eco-sensitive Zone from the boundary of Jasrota Wildlife Sanctuary is varies from 437 meter to 1260 meter in the North-east, 1106 meter to 2022 meter in the North, 207 meter to 686 meter in the South, 122 meter to 597 meter in the South-west, 1302 meter to 1673 meter in the West, 517 meter to 1436 meter in the Northwest, 65 meter to 194 meter in the East, 60 meter to 981 meter in the Southeast.

 The total area of the Eco-sensitive Zone is 12.56 square kilometres which includes 5.5173 square kilometres forest land, 2.4321 square kilometres private land and 2.0246 square kilometres State land which includes six villages Danoh, Ladoli, Gurha Surja, Dhewal, Chanpura and Moni. The Eco-sensitive Zone also includes 2.584 square kilometres private, State and miscellaneous lands of villages Moni, Jasrota, Dhaloti, Mala and Dhamyal.

 (2) The boundary description of Jasrota Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I.**

 (3) The maps of the Jasrota Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB,** and **Annexure-IIC.**

 (4) List of geo-coordinates of the boundary of Jasrota Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are appended as Table **A** and Table **B** of **Annexure-III.**

 (5) List of villages falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV.**

2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.

 (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

 (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

 (i) Environment;

 (ii) Forest and Wildlife;

 (iii) Agriculture;

 (iv) Revenue;

 (v) Urban Development;

 (vi) Tourism;

 (vii) Rural Development;

 (viii) Irrigation and Flood Control;

 (ix) Municipal;

 (x) Panchayati Raj; and

 (xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities, such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

IndiaCode

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or Eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.– Bio Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic Waste Management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and Demolition Waste Management.- The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-Waste.- The e-Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
8.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
	B. Regulated Activities	
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
10.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents; Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
11.	Small scale non-polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the Competent Authority.
12.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
13.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
14.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
16.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.

IndiaCode

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
22.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
23.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
24.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
30.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under the applicable laws. In order to allow free movement of wildlife, hotels or other commercial establishments within the Eco-sensitive Zone shall not fence their properties with barbed wire and no fence shall be higher than one meter. Any existing fence not complying with this stipulation shall be modified as per the time lines mentioned in the Zonal Master Plan.
31.	Community Reserve Nature	Regulated as per the applicable laws.
32.	Trekking and camping.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
33.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
34.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
35.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
36.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
39.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
40.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
41.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
42.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
43.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(1)	(2)	(3)
(i)	District Collector or Deputy Commissioner Kathua	Chairman, ex officio
(ii)	Regional Wildlife Warden, Jammu Region, Jammu	Member;
(iii)	Regional Officer Jammu, State Pollution Control Board, J&K Government	Member;
(iv)	A representative of Department of Forests, Ecology and Remote Sensing, Government of Jammu and Kashmir	Member;
(v)	A expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member;
(vi)	One expert in Ecology from reputed institution or university of the State	Member;
(vii)	A representative of Non-governmental Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government	Member;
(viii)	Territorial Divisional Forest Officer, Forest Division Kathua	Member;
(ix)	Representative of Housing and Urban Planning Department/Rural Development Department	Member;
(x)	Representative of Agriculture Production Department	Member;
(xi)	Concerned Wildlife Warden (I/C of the Jasrota Wildlife Sanctuary)	Member-Secy.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under **paragraph 4** thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at **Annexure V**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/203/2015-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF JASROTA WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE IN JAMMU & KASHMIR

IndiaCode

S. No.	Direction with respect to the boundary of the Sanctuary	Name of the Point	Distance (in meters) of Eco-sensitive Zone from Sanctuary boundary	Geo-coordinates	
				Latitude	Longitude
1	North	A1	2022 (Max. Distance)	32°30'49.01"N	75°24'15.03"E
2		B1	1106 (Min. Distance)	32°30'36.92"N	75°24'31.67"E
3		C1	1243	32°30'35.26"N	75°24'45.17"E
4	North-East	D1	1260 (Max. Distance)	32°30'12.07"N	75°25'34.98"E
5		E1	437 (Min. Distance)	32°29'27.49"N	75°25'16.51"E
6	East	F1	194 (Max. Distance)	32°28'41.33"N	75°24'55.45"E
7		G1	65 (Min. Distance)	32°28'1.99"N	75°24'42.99"E
8	Southeast	H1	60 (Min. Distance)	32°27'50.42"N	75°24'26.82"E
9		I1	981 (Max. Distance)	32°27'23.00"N	75°24'3.86"E
10		J1	462	32°27'46.98"N	75°23'56.09"E
11	South	K1	207(Min. Distance)	32°28'35.07"N	75°23'46.10"E
12		LI	686 (Max. Distance)	32°28'24.70"N	75°23'30.32"E
13		M1	677	32°28'26.84"N	75°22'54.23"E
14	Southwest	N1	279	32°28'31.77"N	75°22'33.77"E
15		O1	122 (Min. Distance)	32°28'40.60"N	75°22'17.87"E
16		P1	303	32°28'56.56"N	75°21'58.24"E
17		Q1	597 (Max. Distance)	32°29'7.04"N	75°21'52.35"E

18	West	R1	1302 (Min. Distance)	32°29'20.38"N	75°21'38.43"E
19		S1	1359	32°29'36.21"N	75°21'43.11"E
20		T1	1640	32°29'53.06"N	75°21'49.54"E
21		U1	1673 (Max. Distance)	32°30'8.07"N	75°22'4.54"E
22	Northwest	V1	1436 (Max. Distance)	32°30'38.52"N	75°22'34.18"E
23		W1	517 (Min. Distance)	32°30'34.92"N	75°23'22.18"E
24		X1	802	32°30'49.01"N	75°24'15.03"E

In the South and South-west areas, the Eco-sensitive Zone boundary line passes through North of the villages Jasrota, Dhaloti, Mala and Dhamyal.

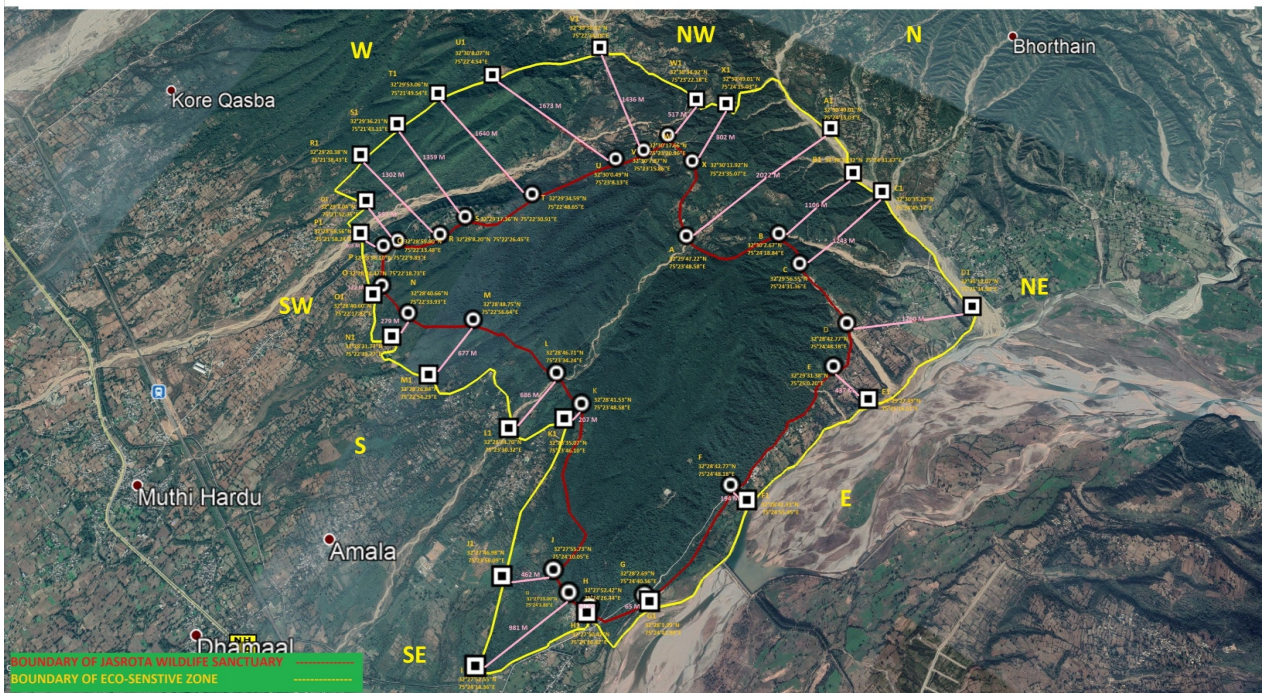
In the western and North-western side, Eco-sensitive Zone boundary passes through to south of village Dewal crosses the Ladoli wali Khad and passes through the Forest Co.7/JSR, Co. 8/JSR in the west, through compt 81/JSR in the northwest, 82/JSR and 83/JSR in the Northern side which are part of Sunanal forests, Tarota Pera forest, Kori Bagan forest and Barot Forests of Jasrota Range of Forest Division Kathua. The Eco-sensitive Zone transverse through the Jagir Khad in the North, meets with the River Ujh in the Norteast direction through ogri Khad. The Eco-sensitive Zone boundary passing Eastern of village Chandwan Beliari in west.

In the North and Northeast Directions, Eco-sensitive Zone boundary passes through the Jagir Khad along the northern and eastern side of Village Moni.

In the Eastern and South-eastern side, the Eco-sensitive Zone boundary passes along with the river Ujh, crosses the Ujh Barrage, moves along with the Ujh Canal and then crosses Rajbagh Jakhole road, runs to North of temple and then crosses to Northern side of village Mala. From Village Mala, the line crosses the Gura Surjan Khad and moves towards North of Village Dhaloti.

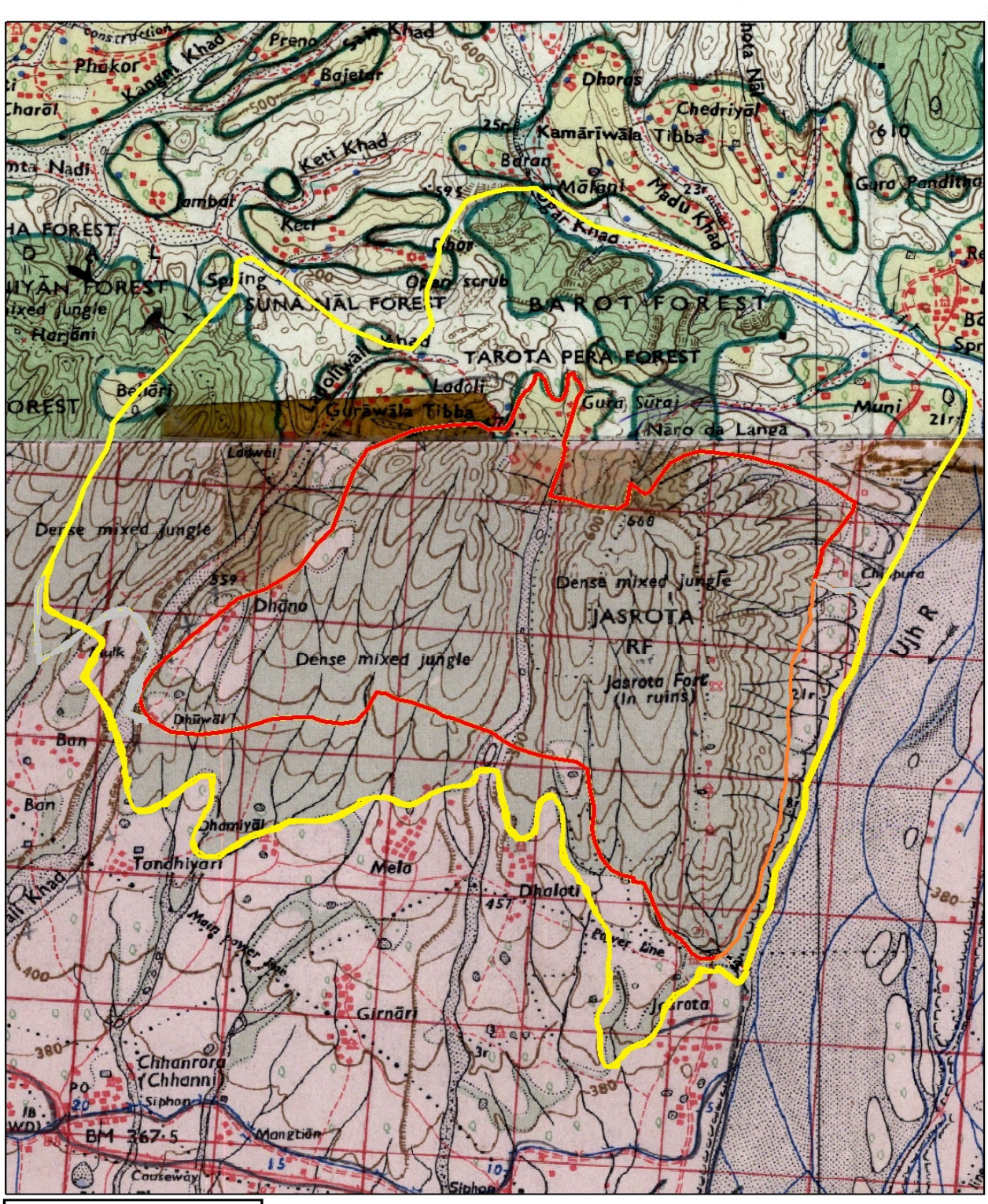
ANNEXURE- IIA

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF JASROTA WILDLIFE SANCTUARY



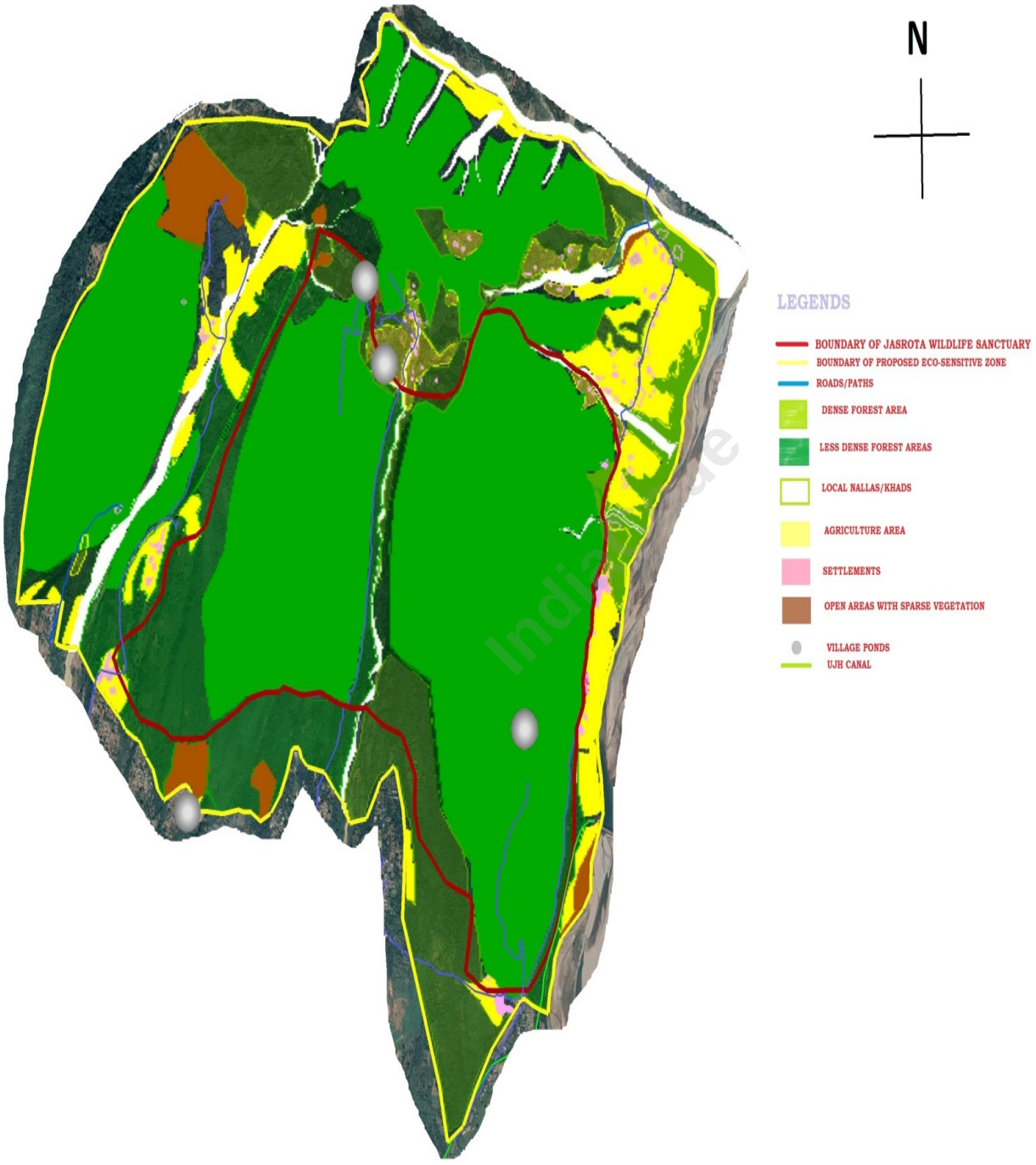
ANNEXURE- IIB

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF JASROTA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET



ANNEXURE- IIC

MAP SHOWING LANDUSE PATTERN OF ECO-SENSITIVE ZONE OF JASROTA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



MAP SHOWING THE LAND USE PATTERN OF JASROTA WILDLIFE SANCTUARY AND ITS PROPOSED ECO-SENSITIUVE ZONE (ESZ)

ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF JASROTA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

S. No.	Direction with respect to the boundary of the sanctuary	Name of the point	Geo-coordinates	
			Latitude	Longitude
1	North	A	32°29'47.22"N	75°23'48.58"E
2		B	32°30'2.67"N	75°24'18.84"E
3		C	32°29'56.55"N	75°24'31.36"E
4	North-East	D	32°28'42.77"N	75°24'48.18"E
5		E	32°29'31.38"N	75°25'0.20"E
6	East	F	32°28'42.77"N	75°24'48.18"E
7		G	32°28'2.69"N	75°24'40.56"E
8	Southeast	H	32°27'52.42"N	75°24'26.44"E
9		I	32°27'52.55"N	75°24'18.36"E
10		J	32°27'55.73"N	75°24'10.05"E
11	South	K	32°28'41.53"N	75°23'48.58"E
12		L	32°28'46.71"N	75°23'34.24"E
13		M	32°28'48.75"N	75°22'56.64"E
14	Southwest	N	32°28'40.66"N	75°22'33.93"E
15		O	32°28'44.47"N	75°22'18.73"E
16		P	32°28'56.10"N	75°22'9.89"E
17		Q	32°28'59.80"N	75°22'13.48"E
18	West	R	32°29'8.20"N	75°22'26.45"E
19		S	32°29'17.36"N	75°22'30.91"E
20		T	32°29'34.59"N	75°22'48.65"E
21		U	32°30'0.49"N	75°23'8.13"E
22	Northwest	V	32°30'7.87"N	75°23'15.86"E
23		W	32°30'17.66"N	75°23'20.46"E
24		X	32°30'11.92"N	75°23'35.07"E

IndiaCode

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

S. No.	Direction with respect to the boundary of the Sanctuary	Name of the Point	Geo-coordinates	
			Latitude	**Longitude**
1	**North**	A1	32°30'49.01"N	75°24'15.03"E
2		B1	32°30'36.92"N	75°24'31.67"E
3		C1	32°30'35.26"N	75°24'45.17"E
4	**North-East**	D1	32°30'12.07"N	75°25'34.98"E
5		E1	32°29'27.49"N	75°25'16.51"E
6	**East**	F1	32°28'41.33"N	75°24'55.45"E
7		G1	32°28'1.99"N	75°24'42.99"E
8	**Southeast**	H1	32°27'50.42"N	75°24'26.82"E
9		I1	32°27'23.00"N	75°24'3.86"E
10		J1	32°27'46.98"N	75°23'56.09"E
11	**South**	K1	32°28'35.07"N	75°23'46.10"E
12		LI	32°28'24.70"N	75°23'30.32"E
13		M1	32°28'26.84"N	75°22'54.23"E
14	**Southwest**	N1	32°28'31.77"N	75°22'33.77"E
15		O1	32°28'40.60"N	75°22'17.87"E
16		P1	32°28'56.56"N	75°21'58.24"E
17		Q1	32°29'7.04"N	75°21'52.35"E
18	**West**	R1	32°29'20.38"N	75°21'38.43"E
19		S1	32°29'36.21"N	75°21'43.11"E
20		T1	32°29'53.06"N	75°21'49.54"E
21		U1	32°30'8.07"N	75°22'4.54"E
22	**Northwest**	V1	32°30'38.52"N	75°22'34.18"E
23		W1	32°30'34.92"N	75°23'22.18"E
24		X1	32°30'49.01"N	75°24'15.03"E

IndiaCode

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF JASROTA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

SI. No.	Name of Village	Latitude	Longitude
1	Danoh	32° 29.377' N	75° 22.511' E
2	Ladoli	32° 29.896' N	75° 22.767' E
3	Gurha Surja	32° 29.809' N	75° 23.813' E
4	Moni	32° 30.196' N	75° 25.364' E
5	Chanpura	32°28'41.59"N	75°24'50.72"E
6	Dhewal	32°28'53.52"N	75°22'6.90"E

ANNEXURE –V

Performa of Action Taken Report:

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.10.29 18:34:05 +05'30'